

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 001/2024
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. रविकुमार पुत्र श्री रामस्वरूप उम्र 25 वर्ष जाति बिश्नोई साकिन रोहिडावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. प्रदुमन पुत्र श्री रणवीर उम्र 20 वर्ष जाति बिश्नोई साकिन रोहिडावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

.... वादीगण

व नाम

1. रामकुमार पुत्र श्री मनीराम जाति बिश्नोई साकिन रोहिडावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
रामस्वरूप पुत्र श्री रामकुमार जाति बिश्नोई साकिन रोहिडावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. रणवीर पुत्र श्री रामकुमार जाति बिश्नोई साकिन रोहिडावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. अन्जू पुत्री श्री रणवीर जाति बिश्नोई साकिन रोहिडावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर। ...प्रतिवादीगण

उपस्थित- श्री मनोहर लाल सहारण (वादीगण)
श्री राजेन्द्र कुमार कस्वां (प्रतिवादी 01 ता 04)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 05)

दिनांक 07 नवम्बर, 2024

-निर्णय-

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार तहसील श्रीगंगानगर के चक 3 पी बड़ी के खाता संख्या 36/25 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 1 ता 25 में 6.0750 हैक्टयर नहरी, मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 5 में 0.2280 है0 नहरी मुरब्बा नं. 38/9 के किला नं. 0 में 0.2530 है0 खाला कुल 6.5560 हैक्टयर नहरी मय खाला राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 3 पी बड़ी के खाता संख्या 39/27 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 18 के किला नं. 1 ता 20, 25 में 5.1880 हैक्टयर नहरी, मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 4, 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 में कुल 2.1140 हैक्टयर नहरी, मुरब्बा नं. 38/18 के किला नं. 0 में 0.01270 है0 खाला कुल 7.4290 हैक्टयर नहरी मय खाला राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के नाम से दर्ज हैं जो उक्त 6.5560 हैक्टयर रकबा जो प्रतिवादी सं. 01 के नाम दर्ज हैं जो जदी जायदाद हैं जो प्रतिवादी सं. 01 को अपने पिता से विरास्तन डिक्री द्वारा प्राप्त हुआ हैं। प्रतिवादी सं. 02 व 03 ने चक 3 पी बड़ी में 3 बीघा 2-1/2 बिस्वा रकबा पूर्ण प्रतिफल देकर रमेश पुत्र श्री हेतराम जाति बिश्नोई निवासी रोहिडावाली से बहिस्सा बराबर दिनांक 11-02-1994 को क्रय किया गया, जदी जायदाद की आमदनी खरीद होने के कारण यह जदी जायदाद हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता हैं। प्रतिवादी सं. 02 व 03 ने रमेश पुत्र श्री हेतराम से उसके चक 3 पी बड़ी के 8 बीघा 10 बिस्वा में से 1/4 हिस्सा रकबा पूर्ण प्रतिफल देकर रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा दिनांक 05-07-1990 को बहिस्सा बराबर क्रय किया था प्रतिवादी सं. 02 व 03 ने रमेश पुत्र श्री हेतराम से उसके चक 3 पी बड़ी के 8 बीघा 7 बिस्वा में से 1/4 हिस्सा रकबा पूर्ण प्रतिफल देकर रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा दिनांक 04-10-1988 को बहिस्सा

बराबर क्रय किया था। प्रतिवादी सं. 02 व 03 ने जगदीश पुत्र श्री हेतराम से उसके चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा प्रतिफल देकर रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा दिनांक 23-12-1988 से उसके चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 18 व 19 में से 3 बीघा 2-1/2 विस्वा रकबा पूर्ण प्रतिफल देकर रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा दिनांक 11-02-1994 को वहिस्सा बराबर क्रय किया था। प्रतिवादी सं. 02 व 03 ने जगदीश पुत्र श्री हेतराम से उसके चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 18 में से 2 बीघा 2-1/2 विस्वा रकबा पूर्ण प्रतिफल देकर रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा दिनांक 26-07-1990 को वहिस्सा बराबर क्रय किया था, प्रतिवादी सं. 02 व 03 ने कलवन्त पुत्र श्री हेतराम से उसके चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 18 व 19 में से 8 बीघा 7 विस्वा रकबा में से 1/4 हिस्सा रकबा पूर्ण प्रतिफल देकर रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा दिनांक 04-10-1988 को वहिस्सा बराबर क्रय किया था, प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने कलवन्त पुत्र श्री हेतराम से उसके चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 18 व 19 में से 2 बीघा 2-1/2 विस्वा रकबा पूर्ण प्रतिफल देकर रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा दिनांक 05-07-1990 को वहिस्सा बराबर क्रय किया था, प्रतिवादी सं. 02 व 03 ने सुभाष पुत्र श्री हेतराम से उसके चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 18 व 19 में से 8 बीघा 7 विस्वा रकबा में से 1/4 हिस्सा रकबा पूर्ण प्रतिफल देकर रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा दिनांक 04-11-1998 को वहिस्सा बराबर क्रय किया था। प्रतिवादी सं. 02 व 03 ने सुभाष पुत्र श्री हेतराम से उसके चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 18 व 19 में से 2 बीघा 10 विस्वा रकबा पूर्ण प्रतिफल देकर रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा दिनांक 31-07-1990 को वहिस्सा बराबर क्रय किया था। प्रतिवादी सं. 02 ने कलवन्त पुत्र श्री हेतराम से उसके चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 18 व 19 में से 1 बीघा 11-1/4 विस्वा रकबा पूर्ण प्रतिफल देकर रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा दिनांक 09-03-1995 को वहिस्सा बराबर क्रय किया था। प्रतिवादी सं. 3 ने कलवन्त पुत्र श्री हेतराम से उसके चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 18 व 19 में से 1 बीघा 11-1/4 विस्वा रकबा पूर्ण प्रतिफल देकर रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा दिनांक 09-03-1995 को वहिस्सा बराबर क्रय किया था। उपरोक्त समस्त रकबा जो संयुक्त अविभाजित हिन्दु परिवार की संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति थी जिसमें प्रत्येक वादीगण का व प्रतिवादी सं. 02 ता 04 का जन्म से हक व हिस्सा वनता था। रकबा सांझा होने के कारण प्रत्येक पक्ष के नाम राजस्व रिकार्ड में रकबा दर्ज नहीं होने के कारण पानी की बारी, खिंचाई व रकम मामला अदा करने में कई प्रकार की कानूनी दिक्कतें आती थी व सरकारी अनुदान व बैंक ऋण सुविधा का पूरा फायदा नहीं मिल पाता इस कारण हक व हिस्सा अनुसार, कब्जा व काशत अनुसार पारिवारिक समझौता बंटवारानुसार खाता तकसीम करवाकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना आवश्यक व जरूरी हो गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 ने काशत की आवश्यक व जरूरी हो गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 ने काशत की आवश्यक व जरूरी हो गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 ने काशत की आवश्यक व जरूरी हो गया।

अच्छी आबपाशी, उपजाऊ-कम उपजाऊ, हक व हिस्सानुसार पारिवारिक बंटवारे के बीच आपसी प्रेम व सौहार्द के वातावरण को कायम रखने के लिए कुछ वर्ष पूर्व घरेलू बंटवारा कर लिया था, इस घरेलू बंटवारानुसार प्रत्येक पक्ष अपने हक व हिस्सा के रकबा पर काबिज हैं व बिना किसी विघन के अपने हक व हिस्सा के रकबा का उपयोग व उपभोग कर रहा है। घरू बंटवारानुसार प्रत्येक पक्ष के हक व हिस्सा में रकबा निम्न प्रकार से आया:-

वादी संख्या 01 रवि कुमार का हिस्सा:- चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 18 के किला नं. 16 में 0.2280 है०, किला नं. 17 ता 20 प्रत्येक सालम, कि.नं. 25 में 0.2280 है०, मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 4, 7, 14 सालम, किला नं. 15 में 0.0180 है० (किला नं. 16 से विपत्ता हुआ), किला नं. 16 में 0.2280 है०, किला नं. 17 सालम, किला नं. 24 में 0.2280 है०, कि.नं. 25 में 0.190 है० कुल 3.1540 हैक्टर रकबा।

वादी संख्या 02 प्रदुमन का हिस्सा:- चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 1 ता 4 प्रत्येक में 0.228 है०, किला नं. 5 में 0.2030 है०, किला नं. 6 में 0.228 है०, किला नं. 7 ता 14 प्रत्येक सालम, किला नं. 15, 16 प्रत्येक में 0.228 है०, किला नं. 17 ता 21 प्रत्येक सालम, कुल 5.0880 हैक्टर नहरी रकबा।

तिवादी संख्या 01 रामकुमार का हिस्सा:- प्रतिवादी संख्या 01 ने नकदी, मकान व जॉट इत्यादि सम्पति प्राप्त कर ली हैं और उनके द्वारा कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं चाहा हैं इस कारण उन्हें हक व हिस्सा नहीं दिया गया हैं ।

तिवादी संख्या 02 रामस्वरूप का हिस्सा:- चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 18 के किला नं. 1 ता 4 प्रत्येक सालम, किला नं. 5 व 6 प्रत्येक में 0.228 है०, किला नं. 7 ता 14 प्रत्येक सालम, किला नं. 15 में 0.2280 है० कुल 3.720 हैक्टयर नहरी रकबा। मुरब्बा नं. 8/18 के किला नं. 0 में 0.1270 है० खाला, कुल तादादी कुल 3.8470 हैक्टयर नहरी य खाला ।

तिवादी संख्या 03 रणवीर का हिस्सा:- चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 6 प्रत्येक में 0.228 है०, किला नं. 15 में 0.208 है०, मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 22 ता 24 प्रत्येक सालम, किला नं. 25 में 0.228 है० कुल 1.6430 है०. मुरब्बा नं. 38/9 के किला नं. 0 में 0.2530 है० खाला कुल तादादी 1.8960 हैक्टयर नहरी मय खाला ।

प्रतिवादी संख्या 04 अन्जू बाला का हिस्सा:- प्रतिवादी संख्या 04 ने जदी जायदाद में अपना हक व हिस्सा का रकबा लेने से मना कर दिया है इसलिए उसे कोई हक व हिस्सा नहीं दिया गया हैं ।

वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि घरेलू मौखिक बंटवारा अनुसार जिस प्रकार प्रत्येक पक्ष के हक व हिस्सा में जो रकबा आया है जिस प्रकार तमाम पक्षकारान का कब्जा काफ्त है उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए पक्षम अधिकारी के समक्ष सहमति से बयान कर दो ताकि घरेलू बंटवारानुसार रकबा प्रत्येक पक्ष के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जावे। पहले तो वह आजकल-आजकल करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगे कि हम तो घरेलू बंटवारा को नहीं मानते हैं और ना ही आपके पक्ष में सहमति के ब्यान करते हैं तुम्हे जो करना है सो करो, बस यही बिनाय दावा हैं जो वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल हुआ हैं। प्रतिवादीगण का इस बात का ईल्म होने पर कि वादीगण जदी जायदाद में अपना हक व हिस्सा की मांग कर रहे, उनके मन में बदयान्ति आ गयी है और वह येन-केन इस रकबा को बैय करने की फिराक में हैं अगर वह अपने इस मकसद में कामयाब हो गये तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से नहीं हो सकेगी। वादीगण अपने हक व हिस्सा के रकबा से महरूम हो जावेगें व आईन्दा मुकदमें बाजी बढेगी। इस कारण प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किया जाना आवश्यक व जरूरी हैं। राजस्थान सरकार भूमि की मालिक हैं आवश्यक पक्षकार हैं इसलिए प्रतिवादी पक्षकार बनाया है लेकिन उससे कोई अनुतोष नहीं चाहा हैं। दावा श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो समयवधि में समुचित कोर्टफीस पर पेश हैं।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:- (क) ~~प्रतिवादीगण~~ किया जावे कि उपरोक्त मौखिक घरेलू बंटवारानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण ~~का~~ काश्तकार है। (ख) इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर लगान व ~~अभियाना~~ अलग अलग कायम किया जावें। (ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावें। (घ) प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि वह दौराने दावा रकबा को रहन बैय नहीं करे। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। (च) अन्य कोई आज्ञा जो न्यायसंगत व हम वादीगण के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

दिनांक 05.02.2024 को पक्षकारान द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा एवं अपने अपने पहचान पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई। वादीगण की शिनाख्त वादी अधिवक्ता श्री पवन शाक्य एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 की शिनाख्त प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार कस्वां द्वारा की गई। इस प्रकरण में गांव के मौजूज व्यक्तियों ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई मनमुटाव नहीं रहा है तथा पंचायत द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा करवा दिया है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से घरू बंटवारा अनुसार भूमि प्राप्त हुई है:-

वादी संख्या 01 रवि कुमार का हिस्सा:- चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 18 के किला नं. 16 में 0.2280 है०, किला नं. 17 ता 20 प्रत्येक सालम, कि.नं. 25 में 0.2280

है०, मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 4, 7, 14 सालम, किला नं. 15 में 0.0180 है० (किला नं. 16 से चिपता हुआ), किला नं. 16 में 0.2280 है०, किला नं. 17 सालम, किला नं. 24 में 0.2280 है०, कि.नं. 25 में 0.190 है० कुल 3.1440 हैक्टयर रकबा।

वादी संख्या 02 प्रदुमन का हिस्सा:- चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 1 ता 4 प्रत्येक में 0.228 है०, किला नं. 5 में 0.2030 है०, किला नं. 6 में 0.228 है०, किला नं. 7 ता 14 प्रत्येक सालम, किला नं. 15, 16 प्रत्येक में 0.228 है०, किला नं. 17 ता 21 प्रत्येक सालम, कुल 5.0880 हैक्टयर नहरी रकबा।

प्रतिवादी संख्या 01 रामकुमार का हिस्सा:- प्रतिवादी संख्या 01 ने नकदी, मकान व प्लॉट इत्यादि सम्पत्ति प्राप्त कर ली हैं और उनके द्वारा कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं चाहा हैं इस कारण उन्हें हक व हिस्सा नहीं दिया गया हैं।

प्रतिवादी संख्या 02 रामस्वरूप का हिस्सा:- चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 18 के किला नं. 1 ता 4 प्रत्येक सालम, किला नं. 5 व 6 प्रत्येक में 0.228 है०, किला नं. 7 ता 14 प्रत्येक सालम, किला नं. 15 में 0.2280 है० कुल 3.720 हैक्टयर नहरी रकबा। मुरब्बा नं. 38/18 के किला नं. 0 में 0.1270 है० खाला, कुल तादादी कुल 3.8470 हैक्टयर नहरी मय खाला।

प्रतिवादी संख्या 03 रणवीर का हिस्सा:- चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 5, 6 प्रत्येक में 0.228 है०, किला नं. 15 में 0.208 है०, मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 22 ता 24 प्रत्येक सालम, किला नं. 25 में 0.228 है० कुल 1.6510 है०. मुरब्बा नं. 38/9 के किला नं. 0 में 0.2530 है० खाला कुल तादादी 1.8960 हैक्टयर नहरी मय खाला।

प्रतिवादी संख्या 04 अन्जू बाला का हिस्सा:- प्रतिवादी संख्या 04 ने जदी जायदाद में अपना हक व हिस्सा का रकबा लेने से मना कर दिया है इसलिए उसे कोई हक व हिस्सा नहीं दिया गया हैं।

दिनांक 14.05.2024 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 05.02.2024 एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 3 पी बड़ी, पटवार हल्का रोहिडावाली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 36/25 एवं खाता संख्या 39/27 की प्रतियां प्रस्तुत की गई। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के विरासतन होने बाबत साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये।

-:आदेश:-

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति/राजीनामा के आधार पर वादीगण संख्या 01 ता 02 एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 03 में वादग्रस्त कृषि भूमि का निम्न प्रकार से विभाजन किया जाकर खातेदार घोषित किया जाता है-

वादी संख्या 01 रवि कुमार का हिस्सा:- चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 18 के किला नं. 16 में 0.2280 है०, किला नं. 17 ता 20 प्रत्येक सालम, कि.नं. 25 में 0.2280 है०, मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 4, 7, 14 सालम, किला नं. 15 में 0.0180 है० (किला नं. 16 से चिपता हुआ), किला नं. 16 में 0.2280 है०, किला नं. 17 सालम, किला नं. 24 में 0.2280 है०, कि.नं. 25 में 0.190 है० कुल 3.1440 हैक्टयर रकबा।

वादी संख्या 02 प्रदुमन का हिस्सा:- चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 1 ता 4 प्रत्येक में 0.228 है०, किला नं. 5 में 0.2030 है०, किला नं. 6 में 0.228 है०, किला नं. 7 ता 14 प्रत्येक सालम, किला नं. 15, 16 प्रत्येक में 0.228 है०, किला नं. 17 ता 21 प्रत्येक सालम, कुल 5.0880 हैक्टयर नहरी रकबा।

प्रतिवादी संख्या 02 रामस्वरूप का हिस्सा:- चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 18 के किला नं. 1 ता 4 प्रत्येक सालम, किला नं. 5 व 6 प्रत्येक में 0.228 है०, किला नं. 7 ता 14 प्रत्येक सालम, किला नं. 15 में 0.2280 है० कुल 3.720 हैक्टयर नहरी रकबा।

मुरब्बा नं. 38/18 के किला नं. 0 में 0.1270 है० खाला, कुल तादादी कुल 3.8470 हैक्टयर नहरी मय खाला।

प्रतिवादी संख्या 03 रणवीर का हिस्सा:- चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 5, 6 प्रत्येक में 0.228 है०, किला नं. 15 में 0.208 है०, मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 22 ता 24 प्रत्येक सालम, किला नं. 25 में 0.228 है० कुल 1.6510 है०. मुरब्बा नं. 38/9 के किला नं. 0 में 0.2530 है० खाला कुल तादादी 1.8960 हैक्टयर नहरी मय खाला।

अतः तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त कृषि भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने व किसी प्रकार की राजस्व हानि होती है तो उसकी पूर्ति हेतु नियमानुसार स्टाम्प/ पंजीयन शुल्क प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 07.11.2024 को जारी किया गया।

XV
स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)

सहायक कलेक्टर एवं
कृषि भूमि अधिकारी,
(फास्ट्रीगंगानगर)

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 001/2024
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. रविकुमार पुत्र श्री रामस्वरूप उम्र 25 वर्ष जाति बिश्नोई साकिन रोहिडावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. प्रदुमन पुत्र श्री रणवीर उम्र 20 वर्ष जाति बिश्नोई साकिन रोहिडावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

.... वादीगण

ब न म

रामकुमार पुत्र श्री मनीराम जाति बिश्नोई साकिन रोहिडावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

2. रामस्वरूप पुत्र श्री रामकुमार जाति बिश्नोई साकिन रोहिडावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. रणवीर पुत्र श्री रामकुमार जाति बिश्नोई साकिन रोहिडावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
4. अन्जू पुत्री श्री रणवीर जाति बिश्नोई साकिन रोहिडावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर। ...प्रतिवादीगण


उपस्थित— श्री मनोहर लाल सहारण (वादीगण)
श्री राजेन्द्र कुमार कस्वां (प्रतिवादी 01 ता 04)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 05)

दिनांक 20 नवम्बर, 2024

वादपत्र संख्या 001/2024
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री पवन शाक्य व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार कस्वां एवं पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 05 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि – वादी संख्या 01 रवि कुमार को चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 18 के किला नं. 16 में 0.2280 है0, किला नं. 17 ता 20 प्रत्येक सालम, कि.नं. 25 में 0.2280 है0, मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 4, 7, 14 सालम, किला नं. 15 में 0.0180 है0 (किला नं. 16 से नुपता हुआ), किला नं. 16 में 0.2280 है0, किला नं. 17 सालम, किला नं. 24 में 0.2280 है0, कि.नं. 25 में 0.190 है0 कुल 3.1440 हैक्टर रकबा का, वादी संख्या 02 प्रदुमन को चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 1 ता 4 प्रत्येक में 0.228 है0, किला नं. 5 में 0.2030 है0, किला नं. 6 में 0.228 है0, किला नं. 7 ता 14 प्रत्येक सालम, किला नं. 15, 16 प्रत्येक में 0.228 है0, किला नं. 17 ता 21 प्रत्येक सालम, कुल 5.0880 हैक्टर नहरी रकबा का, प्रतिवादी संख्या 02 रामस्वरूप को चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 18 के किला नं. 1 ता 4 प्रत्येक सालम, किला नं. 5 व 6 प्रत्येक में 0.228 है0, किला नं. 7 ता 14 प्रत्येक सालम, किला नं. 15 में 0.2280 है0 कुल 3.720 हैक्टर नहरी रकबा। मुरब्बा नं. 38/18 के किला नं. 0 में 0.1270 है0 खाला, कुल

सहायक कलक्टर
कार्यापालक दण्डनाथ
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर



तादादी कुल 3.8470 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 03 रणवीर को चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 5, 6 प्रत्येक में 0.228 है०, किला नं. 15 में 0.208 है०, मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 22 ता 24 प्रत्येक सालम, किला नं. 25 में 0.228 है० कुल 1.6510 है०. मुरब्बा नं. 38/9 के किला नं. 0 में 0.2530 है० खाला कुल तादादी 1.8960 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्यवास्ते...शून्य.खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्यआज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 20 नवम्बर, 2024 को जारी की गयी।



स्वाति गुप्ता

(आर.ए.एस.)

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

स्वाति गुप्ता

(आर.ए.एस.)

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर